हिन्दुस्तान

27 लाख 44 हजार रुपए का प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक गिफ्तार

हिन्दुस्तान टीम,गोपालगंजNewswrap
Wed, 29 Dec 2021 09:31 PM

उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा पर स्थित बलथरी चेक पोस्ट पर पकड़ा गया तस्कर

- एक ट्रक में क्रॉकरी के सामान के भीतर छुपाकर ले जायी जा रही थी कफ सिरप की खेप

गोपालगंज। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि

उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा पर स्थित कुचायकोट थाने के बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से करीब 150 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप को जब्त कर लिया। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया । गिरफ्तार तस्कर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसौल थाना क्षेत्र के भरतवा गांव का हरेन्द्र कुमार बताया गया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने में उत्पाद विभाग की टीम जुटी हुई है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि बुधवार की सुबह यूपी की ओर से आने वाले सभी वाहनों की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान एक ट्रक को शक के आधार पर रोका गया। उसकी जब तलाशी ली गई तो उसमें रखी गई क्रॉकरी के सामानों में 150 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप बरामद हुई। सिरप के बारे में पकड़े गए चालक से पूछताछ की गई तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कार्टन में रखे गए कफ सिरप की गिनती की गई तो उसमें 15 हजार 680 बोतलें मिलीं। प्रत्येक बोतल की कीमत करीब 175 रुपए है। कुल बोतलों की कीमत 27 लाख 44 हजार रुपए आंकी गई है।

Source: https://www.livehindustan.com/bihar/gopalganj/story-one-arrest-with-banned-cough-syrup-worth-rs-27-lakh-44-thousand-5445723.html